मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

e-Gov-5

क्रमांक/ 31 /2013/56, भोपाल, 07 जनवरी, 2013

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागायुक्त,
5. समस्त जिला कलेक्टर,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय :**नि:शक्तजनों की सूचना, संचार एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।**

1/- ई-शासन के वर्तमान युग में न केवल व्यक्तिगत कार्यों के लिए, बल्कि विभिन्न ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहारों की प्रासंगिकता, उपयोगिता एवं महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आ रहे इन नित, नवीन एवं क्रान्तिकारी परिवर्तनों का पूरा लाभ नि:शक्तजनों को भी प्राप्त हो, इस उद्धेश्य से वर्ष 2008-09 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नि:शक्तजनों के अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में एक विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया गया।

2/- संयुक्त राष्ट्र संघ के उक्त सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट किया गया है कि अन्य बातों के अतिरिक्त नि:शक्तजनों तक सूचना संचार एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की पहुंच अनिवार्यत: सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। इन उद्धेश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में नि:शक्तजन (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 एवं सहपठित "नि:शक्तजन सहपठित नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन की योजना (SIPDA) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (संशोधित 2008) के सुसंगत प्रावधान भी अवलोकनीय हैं ।